बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
वाहन की नीलामी की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधीन कुल–01 (एक) वाहन की खुली डाक द्वारा नीलामी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के नीलामी समिति की देखरेख में दिनांक– 09.07.2026 को 03:00 बजे अपराह्न में संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के कार्यालय कक्ष में किया जायेगा। प्रस्तावित नीलामी हेतु वाहन का निरीक्षण कार्यालय अवधि में क्रेता द्वारा आवश्यकतानुसार संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार से सम्पर्क कर किया जा सकता है।

वाहन की विवरणी निम्न प्रकार है:–

क्र०	वाहन संख्या	वाहन का प्रकार	क्रय वर्ष	चेचिस नम्बर	ईंजन नम्बर	वाहन जहाँ रखा है।
01	BR01BD-0081	Safari Storme	14.11.2014	MAT617001E NB01509	22LDICOR09 BVYJ02949	पुराना सचिवालय स्थित सिंचाई भवन परिसर, पटना।

नीलामी की शर्त्तें

(1) उक्त नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को 10,000/– (दस हजार) रु0 प्रतिभूति की राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में "Deputy Secretary-Cum-DDO, Environment, Forest & Climate Change Department, Bihar" के नाम संलग्न करना अनिवार्य होगा और उनके द्वारा यह बैंक ड्राफ्ट दिनांक–07.07.2026 को 04:00 बजे अपराह्न तक विहित प्रपत्र Annexure-A में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के पास निर्धारित अवधि में जमा करना होगा।

(2) नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को अपना पहचान पत्र देना होगा, जिसमें आधार कार्ड/पैनकार्ड/मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाइसेंस को हस्ताक्षरित प्रति होगा।

(3) नीलामी में भाग लेते समय उनके पहचान पत्र के आधार पर जमा राशि को देखने के उपरांत ही भाग लेने दिया जायेगा।

(4) उच्चतम डाक वक्ता को छोड़कर शेष डाक वक्ता के जमानत की राशि नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न होने के उपरांत वापस कर दिया जायेगा।

(5) सबसे अधिक डाक बोलने वाले व्यक्ति द्वारा नीलामी का अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत अधिकतम लगाये गये बोली का 25 प्रतिशत की राशि तत्काल जमा कराया जाना होगा। शेष राशि एक सप्ताह के अन्दर जमा कर वाहन का स्वामित्व हस्तांतरण कराने के उपरांत ले जाया जा सकता है। एक सप्ताह के अन्दर संपूर्ण राशि जमा नहीं करने पर उनके द्वारा जमा की गई प्रतिभूति एवं 25 प्रतिशत की राशि स्वतः जब्त हो जायेगी। संपूर्ण राशि जमा करने पर प्रतिभूति की राशि वापस की जायेगी।

(6) समिति के सदस्यों को बिना कारण बताये डाक को निलंबित करने, स्थगित करने, तिथि बढ़ाने अथवा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

(7) विस्तृत जानकारी के लिए संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना से सम्पर्क कर सकते हैं।

Annexure-A

जमानत की राशि जमा करने का प्रपत्र

बोली लगाने वाले का नाम :–

बोली लगाने वाले का पता :–

मोबाईल संख्या :–

क्र०सं०	गाड़ी संख्या	जमानत की राशि	अभ्युक्ति
1			
	कुल राशि		

बैंक ड्राफ्ट नम्बर एवं तिथि :–

बैंक ड्राफ्ट की राशि :–

22.6.26

(श्याम चन्द्र मंडल)
सरकार के उप सचिव
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार, पटना

Annexure-A

जमानत की राशि जमा करने का प्रपत्र

बोली लगाने वाले का नाम :–

बोली लगाने वाले का पता :–

मोबाईल संख्या :–

क्र०सं०	गाड़ी संख्या	जमानत की राशि	अभ्युक्ति
1			
	कुल राशि		

बैंक ड्राफ्ट नम्बर एवं तिथि :–

बैंक ड्राफ्ट की राशि :–